भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 442

उत्तर देने की तारीख : 24.07.2023

एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम

442. श्री कार्तिकेय शर्मा :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघ् और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की वृध्दि और इनके विकास में सहायता प्रदान करने के लिए कौन-कौन से विशिष्ट वित्तीय सहायता कार्यक्रम या योजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) सरकार ने विशेष रूप से संपार्श्विक-मुक्त ऋण, ब्याज दर राजसहायता और क्रेडिट गारंटी योजनाओं के संदर्भ में एमएसएमई के लिए ऋण और वित्त संबंधी सुविधा तक पहुंच को किस तरह से आसान बनाया है; और

(ग) कुशल श्रमिक की उपलब्धता बढ़ाने और एमएसएमई के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संवृद्धि और विकास में सहयोग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की कई स्कीमें हैं। उनमें से कुछ सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट स्कीम, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत निधि, सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम, आदि शामिल हैं।

(ख) सरकार द्वारा क्रेडिट वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने और सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र के लिए कोलेटरल और तीसरे पक्ष की गारंटी से संबंधित परेशानी के बिना 500 लाख रुपये तक की सीमा के ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) कार्यान्वित की जाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान, भारत सरकार ने आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम आरम्भ की, जिसमें एमएसएमई सहित मौजूदा पात्र व्यवसायों को 100% गारंटीकृत कोलेटरल रहित ऋण प्रदान किए गए।

(ग) वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम आरम्भ की है, जिसमें भारत सरकार द्वारा नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से 10 करोड़ रुपये तक के ऋण पर गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 1.5 लाख रुपये तक के पात्र कौशल विकास ऋण पर उधारकर्ताओं को गारंटी प्रदान करने के लिए कौशल विकास पर क्रेडिट गारंटी स्कीम भी चलाई जाती है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व-रोज़गार या उद्यमशीलता को जीविका के एक विकल्प के रूप में विचार करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उद्यमिता कौशल विकास स्कीम कार्यान्वित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई का क्षमता निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को विकसित करना है। एमएसएमई मंत्रालय द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में आने वाले स्वायत्तशासी संगठन राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई) देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई द्वारा समर्थित विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं जिनमें लक्षित समूहों को स्वयं का उद्यम आरम्भ करने के लिए प्रशिक्षण दिए जाने के पश्चात परामर्श और हैंड होल्डिंग सहयोग प्रदान किया जाता है।

*****